

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.08.2023

07 साल से फरार, 25,000/- का इनामिया शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने जनपद मे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित/काफी लम्बे समय से फरार वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। जिसके क्रम में थाना परसपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम चयपुरवा थाना कौड़िया से लगभग 07 साल से फरार शातिर अभियुक्त शाहिद पुत्र ननकऊ को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने ₹0 25,000/- का पुरस्कार घोषित किया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शाहिद पुत्र ननकऊ नि0 चयपुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-73/2016 धारा 382 भादवि0 थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त शाहिद का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 199/97 धारा 323/504/506 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
02. मु0अ0सं0 131/98 धारा 323/504/506 भादवि व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
03. मु0अ0सं0 17/2000 धारा 395/397/436 भादवि व 3(1)X एससी/एसटी एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
04. मु0अ0सं0 86/2000 धारा 352/504/506 भादवि व 3(1)V एससी/एसटी एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
05. मु0अ0सं0 24/2000 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
06. मु0अ0सं0 136/2000 धारा 394 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
07. मु0अ0सं0 35/2001 धारा 147/148/149/323/506/436/302/307 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
08. मु0अ0सं0 21/2002 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
09. मु0अ0सं0 39/2002 धारा 395/397/412 भादवि व 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
10. मु0अ0सं0 145/2002 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा
11. मु0अ0सं0 146/2002 धारा 5 EXP एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
12. मु0अ0सं0 21/2002 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
13. मु0अ0सं0 20/98 धारा 392/506 भादवि थाना विश्वेशरगंज जनपद बहराइच

14. मु0अ0सं0 1294/2004 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0देहात जनपद बहराइच
15. मु0अ0सं0 1206/2004 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0देहात जनपद बहराइच
16. निल/2004 धारा 41/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0देहात जनपद बहराइच
17. मु0अ0सं0 346/2006 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0देहात जनपद गोण्डा
18. निल/2006 धारा 41/411/483 भादवि थाना को0देहात गोण्डा
19. मु0अ0सं0 186/2009 धारा 323/325/504/506 भादवि व 3(1)X एससी/एसटी एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
20. मु0अ0सं0 253/2009 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
21. मु0अ0सं0 232/2009 धारा 110जी सीआरपीसी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
22. मु0अ0सं0 275/2009 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
23. मु0अ0सं0 22/2010 धारा 394 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
24. मु0अ0सं0 145/2011 धारा 147/148/323/504/506/427/336 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
25. मु0अ0सं0 184/2012 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
26. मु0अ0सं0 223/2012 धारा 307/504 भादवि थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
27. मु0अ0सं0 224/2012 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
28. मु0अ0सं0 198/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
29. मु0अ0सं0 162/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
30. निल/2020 धारा 110जी सीआरपीसी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा
31. मु0अ0सं0 167/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा

गिरफ्तार कर्ता-

01. थानाध्यक्ष परसपुर शेषमणि पाण्डेय।
02. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह
03. हेड का0 विरेन्द्र मौर्या।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.08.2023

25,000 /— का ईनामिया गैंगेस्टर ऐक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत पुरस्कार घोषित/गैंगेस्टर ऐक्ट के वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर गैंगेस्टर ऐक्ट के वांछित अभियुक्त बुद्धिलाल पुत्र परागदत्त दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त का एक संगठित गिरोह था जो अपने भौतिक तथा आर्थिक लाभ हेतु फर्जी जमीन के कागजात बनवा कर लोगों से साथ धोखाधड़ी किया करते थे। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा 25,000 /— का पुरस्कार घोषित किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. बुद्धिलाल पुत्र परागदत्त दुबे नि० ग्राम माधवपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—147 / 23, धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर ऐक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

प्र०नि० करनैलगंज चितवन कुमार मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.08.2023

24 घण्टे के अन्दर थाना धानेपुर क्षेत्र अन्तर्गत हुए हत्याकाण्ड का अनावरण, 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 21.08.2023 को थाना धानेपुर क्षेत्र के अन्तर्गत गन्ने के खेत में एक लड़के का शव प्राप्त हुआ था। सूचना पर उच्चाधिकारीगणों द्वारा फील्ड यूनिट व फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने घटना के जल्द से जल्द अनावरण व आरोपी अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु थानाध्यक्ष धानेपुर को निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 23.08.2023 को घटना का अनावरण कर घटना कारित करने वाले 02 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि मृतक सतीश का मेरी बेटी के साथ प्रेमप्रसंग था तथा दिनांक 20/21.08.2023 की रात्रि सतीश व अपनी बेटी को अपने घर में एक साथ देख लिया था। इसी बात से झुब्ध होकर मैंने अपने बेटे के साथ मिलकर अपनी बेटी व सतीश को जान से मार दिया था। सतीश का शव हमलोगो द्वारा गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था तथा अपनी बेटी को अयोध्या के शमशान घाट में दफना दिया था। पुलिस टीम द्वारा जनपद अयोध्या से मृतका आरती का शव बरामद कर लिया गया है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा उत्साहवर्द्धन हेतु घटना के शीघ्र अनावरण करने वाली टीम को पुरुस्कृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. कृपाराम पुत्र स्व० शिवराम नि० मेहनौन थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. राघवराम पुत्र कृपाराम नि० मेहनौन थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—287/23, धारा 302,201 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

थानाध्यक्ष धानेपुर सत्येन्द्र वर्मा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.08.2023

पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता करने के 04 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 23.08.2023 को पी0आर0वी0 0886 कालर अजय सिंह की सूचना पर ग्राम चौरी परिहार गए थे। पी0आर0वी0 कर्मचारियों द्वारा जब कालर की बात सुनी जा रही थी कि कॉलर द्वारा पी0आर0वी0 कर्मियों को गाली-गुप्ता देने लगा। पी0आर0वी0 की सूचना पर थाना खरगूपुर के उ0नि0 चन्द्रसेन वर्मा मय पुलिस बल के ग्राम चौरी परिहार पहुँचे तो अजय सिंह अपने परिजनों के साथ लाठी-डण्डा से लैस होकर पुलिस पार्टी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना खरगूपुर में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। खरगूपुर पुलिस द्वारा घटना कारित करने वाले 04 आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. अभय सिंह उर्फ रिकू पुत्र नरसिंह बहादुर सिंह नि0 ग्राम चौरी परिहार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. समरथ सिंह पुत्र स्व0 छेदी सिंह नि0 ग्राम चौरी परिहार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
03. श्रीमती गीता देवी पत्नी अजय सिंह नि0 ग्राम चौरी परिहार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
04. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी अरुन सिंह नि0 ग्राम चौरी परिहार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—302/23, धारा 147,148,149,307,332,353,504,506 भादवि व 7 सी0एल0ए0 ऐक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 चन्द्रसेन वर्मा मय पुलिस टीम।

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-11 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. थाना करनैलगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बाबूलाल कश्यप पुत्र ननकू कश्यप नि० ग्रा० दानवपुरवा परसागोड़री थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-480/23, 02. लालू उर्फ गोरखनाथ कश्यप पुत्र ऐश कुमार नि० दानवपुरवा मौजा परसा गोड़री थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-481/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.08.2023

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को हुई 05-05 साल की सजा व रू0 5000-5000/- के अर्थदण्ड की सजा-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को 05-05 अवधि की सजा व रू0 5000-5000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना मनकापुर पुलिस ने जानलेवा हमला करने के आरोप में 03 आरोपी अभियुक्तों-01.संजय वर्मा, 02. राम बहोर, 03. राम चरित्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अभिनव चतुर्वेदी, मॉनिटरिंग सेल व थाना मनकापुर के पैरोकार मुख्य मधुसूदन सिंह के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0 एफ0टी0सी0 कोर्ट गोण्डा ने 05-05 अवधि की सजा व रू0 5000-5000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. संजय वर्मा पुत्र राम चरित्र वर्मा नि0 अमवा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. राम बहोर पुत्र लालता वर्मा नि0 अमवा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. रामचरित्र पुत्र लालता वर्मा नि0 अमवा थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 126/13, धारा 307,34,323,504,506 भादवि थाना को0 मनकापुर जनपद गोण्डा।

प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 23.08.2023

‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मोटरसाईकिल चोरो को हुई 03-03 साल की सजा व रु0 20,000-20,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप मोटरसाईकिल चोरो को 03-03 अवधि की सजा व रु0 20,000-20,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना करनैलगंज पुलिस ने चोरी की मोटरसाईकिल के साथ 02 आरोपी अभियुक्तों-01.अनोखे लाल वर्मा, 02. ननकू गोड़िया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता सुश्री अनीता साहू, मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार दीन बन्धु दुबे के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम कोर्ट गोण्डा ने 03-03 अवधि की सजा व रु0 20,000-20,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्तगण का नाम पता-

01. अनोखे लाल वर्मा पुत्र शेर बहादुर उर्फ शैल नि0 ग्राम गुलहरिया मौजा धनराजपुर थाना जरवल जनपद बहराइच।

02. ननकू गोड़िया पुत्र राधेश्याम नि0 ग्राम गुलहरिया मौजा धनराजपुर थाना जरवल जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 432/22, धारा 41,411,413,414,420,467,468,471 भादवि थाना को0 करनैलगंज जनपद गोण्डा।